PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

**Dainik Jagran, Delhi**
**Fri, 16 Jun 2017, Page 14**
**Width: 21.83 cms, Height: 10.60 cms, a4r, Ref: 38.2017-06-16.119**

# वस्तु व सेवा कर से सस्ती होंगी 89 चीजें

**फायदा**

- पहले के मुकाबले कम हो जाएगा टैक्स का बोझ
- सुचारू क्रियान्वयन को बनाए क्षेत्रवार 18 कार्यकारी समूह

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली :** एक जुलाई से प्रस्तावित वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर कम से कम 89 वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। दरअसल इन वस्तुओं पर जीएसटी की प्रस्तावित दर मौजूदा कर बोझ से कम होगी। इसलिए माना जा रहा है कि इन चीजों के दाम कम हो जाएंगे। इनमें अधिकांश ऐसी वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल आम लोग करते हैं।

वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को उन वस्तुओं की सूची जारी की जिन पर जीएसटी की प्रस्तावित दर, इन पर लगने वाले मौजूदा कर बोझ की तुलना में कम है। इनमें बच्चों के स्कूली बैग और पढ़ाई के सामान से लेकर तमाम खाने-पीने की चीजें शामिल हैं। साथ ही इसमें एक हजार रुपये तक के रेडीमेड कपड़े और 500 रुपये से कम मूल्य के फुटवीयर भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि पहले इन चीजों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वैट सहित केंद्र और राज्यों के कई परोक्ष कर लगते थे जो जीएसटी लागू के बाद नहीं लगेंगे। इसलिए जीएसटी लागू होने पर इन पर कर बोझ कम हो जाएगा। इस बीच सरकार ने एक जुलाई, 2017 से जीएसटी सुचारू ढंग से लागू करने के लिए क्षेत्रवार उद्योगों की मदद के लिए 18 कार्यकारी समूह गठित किए हैं। ये समूह बैंकिंग और बीमा से लेकर टैक्सटाइल तक अलग-अलग क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं। इन समूहों में केंद्र के साथ-साथ राज्यों के अधिकारियों को भी रखा गया है। जीएसटी के क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार 19 जून को जीएसटी के कई नियमों तथा फारमेट की अधिसूचना जारी करने जा रही है।

इस बीच जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक रविवार 18 जून को दिल्ली में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में उन मुद्दों पर आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी जिन पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इसमें ई-वे बिल और एंटी प्रॉफिटियरिंग जैसे मुद्दे शामिल हैं। बैठक में एडवांस रूलिंग, असेसमेंट और ऑडिट की प्रक्रिया के बारे में भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा।